राज्य सैक्टर / चालू योजना
संख्या–489 / XV–1 / 1(17) / 2008

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 24 सितम्बर, 2008

विषय :– **चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य सैक्टर के अर्न्तगत योजनाओं में धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1129 / नि0 / आय–व्ययक / 2008–09 दिनांक 17 जुलाई, 2008 के कम में श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में पशुलोक की विभागीय भूमि एम्स को हस्तान्तरित होने के कारण वहां पर व्यवस्थित मीरा बेन अतिथि गृह को अन्यत्र विभागीय भूमि पर नवनिर्माण हेतु **रूपया 85.29 लाख (रूपया पिचासी लाख उन्नतीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि की फॉट कर तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों व प्रचलित शासनादेशों को ध्यान में रखा जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

Diary No. 1428 Date 2.10.08

(5) एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(10) स्वीकृत निर्माण कार्यो को तत्काल प्रारम्भ किया जाय ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे, निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरुप लागत में वृद्वि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रुप से शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय–00–101–पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–09–पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य–24–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्वशासकीय पत्र संख्या–96(P)/XXVII–4/2008 दिनांक 08 सितम्बर, 2008 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 489 (1)/XV–1/2008–तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदय क संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
5. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुलोक, ऋषिकेश, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
9. निदेशक, NIC को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।